संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के ग्रामीण संघटक को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और शहरी कार्यक्रम के समानान्तर एक पृथक परियोजना को सूत्रबद्ध करने के लिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से 1977-78 के दौरान एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है?

Allocation of Aluminium to Karnataka State Electricity Authority

5285. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state whether Union Government propose to allocate aluminium directly to the Karnataka State Electricity Authority ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): No, Sir. There is no problem in regard to aluminium supply to manufacturers of cables and conductors who have firm orders from State Electricity Boards.

Sanjay Gandhi's visit to M.P.

5286. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) dates on which Shri Sanjay Gandhi visited places situated in Baster District of Madhya Pradesh and Singhbhum District of Bihar;

(b) whether N.M.D.C. provided facilities like vehicles, etc. on such occasions and partial holidays were declared in projects situated in those Districts; and

(c) if so, the facts thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Shri Sanjay Gandhi, accompanied by the then Cnief Minister of Bihar, visited Hatgomaria in Singhbhum District on 18th December, 1976, and, accompanied by the then Chief Minister of M.P. and the then Union Minister for I. and B., he visited Jagdalpur/Dantewara in Bastar District on 22nd/23rd January, 1977.

(b). and (c) On requisition from the respective State Government authorities, the following facilities were provided by N.M.D.C.:

At Hatgomaria	*At Dantewara/ Jagdalpur*
24 Vehicles	2 fire fighting vans
1 Ambulance	1 Dozer
4 Buses	4 Water tankers
3 Trucks	3 trucks
	1 Ambulance jeep
	Mike, Shyamianas, Sofa sets etc.

N.M.D.C. has preferred bills for Rs. 20,169 and for Rs. 17,998 to the authorities of the State Governments of Madhya Pradesh and Bihar respectively for providing the above facilities.

No holiday was declared, but the employees of N.M.D.C.'s projects in M.P. who were desirous of attending the meeting held at 1430 hours on 23-1-1977 at Dantewara, were allowed to do so.

करिम्चीपन माइका इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मजदूरों की मजूरी का भुगतान

5287. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स करिम्चीपन माइका इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, दोमचंच (बिहार) के स्वामित्व वाली एक बड़ी अभ्रक कंपनी के 8,000 मजदूरों को गत डेढ़ वर्ष से मजूरी नहीं दी गई है;

(ख) क्या मजदूरों की मजूरी से काटा गया अंशदान तथा कुछ कम्पनी के भाग को 1967 से भविष्य निधि में जमा नहीं कराया गया है;

(ग) क्या कम्पनी के सभी निदेशक एक ही परिवार के हैं और उनमें विवाद

तथा केन्द्रीय श्रम विभाग की अपेक्षा के कारण मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई है और वे बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या कम्पनी की 80 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली सैकड़ों खानें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और मजदूरों की संख्या कम हो रही है ; और

(ङ) क्या सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी और यदि नहीं, तो हजारों मजदूरों के रोजगार की रक्षा करने तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह सूचित किया गया है कि मैसर्स क्रिसचियन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (सहायक प्रतिष्ठान) की अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों के लगभग 3,000 श्रमिकों को 6 मास से 1½ वर्ष की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि क्रिसचियन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के छः सहायक प्रतिष्ठानों से 18.76 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि अंशदान की ओर देय है।

(ग) से (ङ). यह सूचित किया गया है कि अभ्रक-खानों और कारखानों का उत्पादन और आय कम्पनी के सभी दायित्वों और कर्मचारियों की मजूरी की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली में 30 जुलाई, 1977 को होने वाली सभी संबंधित पक्षों की बैठक में सभी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने का विचार है।

Issue of Drug Licences to Doctors

5288. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether prior to 1970, drug licences used to be issued to qualified private doctors for commercial purposes under the Drugs Act; and

(b) if so, whether the some practice is still being followed ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN):

(a) Yes.

(b) Yes.

नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

5289. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और उसका वर्ष 1974, 1975 और 1976 का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में किन नियोक्ताओं तथा फर्मों की ओर दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). दो विवरण 'क' और 'ख' सभा की मेज पर रख दिए गए हैं ;

(ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में देय राशि की वसूली),